

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक :- 10.03.2014

आयोग द्वारा विज्ञापित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के विद्यमान पाठ्यक्रम में टंकण की त्रुटिवश हुई अशुद्धि का संशोधन किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

अभ्यर्थियों के हित में यह सूचित किया जाता है कि वे संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान लेखा नियम के स्थान पर राजस्थान सेवा नियम एवं अध्याय 1 के स्थान पर 2 पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया है।

(गोविन्द नारायण अग्रवाल)

वरिष्ठ उप सचिव
